(कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेल:–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाष:– 0744–2500194

क्रमांक:एफ13(162)एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/1541 दिनांक : 14/3/23

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए राजस्थान जयपुर।

विषय: Land for extension of Bhamashah Krashi Upaj Mandi Samiti Rajasthan.
(Online Proposal No. FP/RJ/Others/20036/2016)

प्रसंग: आपका ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 29.11.2022 एवं पत्रांक एफ14(105/10) 2016/एफसीए/प्रमुवसं/3993 दिनांक 29.11.2022 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक ई0डी0एस0 एवं पत्र दिनांक 29.11.2022 से चाही गई बिन्दूओं की सूचना के क्रम में उप वन संरक्षक कोटा ने पत्रांक 1072 दिनांक 3.02.2023 एवं पत्रांक 1819 दिनांक 28.02.2023 से तैयार कर कार्यालय में प्रेषित की है जो निम्नानुसार है:–

क्र0सं0	आक्षेप	पालना
1	बिन्दु संख्या 2 की पालना के क्रम में पार्ट–II में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के नाम अंकित कर दिये गये है किन्तु उप वन संरक्षक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 के अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न नही की गयी है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 96 है0 का प्रत्यावर्तित वनभूमि प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया गया जिसमें से लगभग 22 है0 वनभूमि में उनके प्रस्ताव से पूर्व ही निर्माण कार्य किया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रीको से औद्योगिक क्षेत्र हेतु जमीन आंवटित किया जाना बताया गया जिसके आधार पर उनके द्वारा यह कार्य किया गया। रीको को यह भूमि वन अधिकारी व राजस्व अधिकारियों ने दी है। राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज नही है परन्तु गजट नोटिफिकेशन में यह भूमि वन भूमि है। इस प्रकार यह प्रकरण मार्गदर्शिका 2019 के पैरा 1.21 पार्ट फर्स्ट का 'ए' प्रकरण से संबंधित होना प्रतीत होता है। इस प्रकरण में एफ.आई.आर. नम्बर 56–09 दिनांक 19.09.1996 जारी की गई है। जिसके क्रम में राजस्थान अधिनियम 1953 के तहत रूपये 1.00 लाख का जुर्माना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा करा दिया गया है। (डी0डी0 की प्रति संलग्न है)
2	बिन्दु संख्या 4 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में एन.एफ.एल. भूमि पर प्रचलित मॉडल की प्रति लगाया जाकर क्षतिपूर्ति योजना संलग्न की गयी है। प्राप्त गैर वनभूमि पर 1100 पौधे लगाया जाना संभव नही है अतः एन.एफ.एल. भूमि पर कितने पौध लग्या जाना है यह स्पष्ट नही है। अतः लगाये जाने वाले 96000 पौधों के अनुसार योजना बनायी जाकर संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि गैर वन भूमि पर 400 पौधे प्रति है0 तथा डीएफएल में 700 पौधे प्रति है0 कि दर से प्रस्तावित किया गया है। प्राक्कलन एवं डीएफएल की केएमएल संलग्न है।
3	बिन्दु संख्या–5 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक पार्ट–II में 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि हेतु यूजर एजेन्सी की वचनवद्धता संलग्न कर दी गयी है किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। तदनुसार टिप्पणी अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के अनुसार 3314 र0मी0 दीवार का नुकसान होना है। अतः 3314 र0मी0 दीवार की राशि हेतु यूजर एजेन्सी की वचनबद्धता संलग्न की गयी है। पूर्व में प्रेषित 6 कि0मी0 नवीन दीवार एवं 2 कि0मी0 पुरानी दीवार की राशि की यूजर एजेन्सी से लिया जाना उचित नही है इस कारण से 3314 र0मी0 यूजर एजेन्सी से वचनबद्धता लेकर संलग्न कर दिया गया है।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.14 15:03:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3380331

4	बिन्दु संख्या 6 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में गैर वनभूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में गैर वनभूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न कर दी गयी है।
5	बिन्दु संख्या 7 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में परिभ्रांषित वनभूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न की गयी है किन्तु भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में योजना संलग्न नही है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में निर्धारित प्रपत्र में परिभ्रांषित वनभूमि मॉडल अनुसार योजना संलग्न कर दी गयी है।
6	बिन्दु संख्या 9 की पालना के क्रम में उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट–II में संशोधित स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट दो वर्ष से पुरानी है अतः नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 31.01.2023 की स्थिति अनुसार नवीन स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी है।
7	बिन्दु संख्या 10 की पालना के क्रम में मुख्य वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट ऑनलाईन संलग्न नही है।	आपके ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 एवं दिनांक 16.08.2022 के जवाब में स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर अग्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेशित है।
8	बिन्दु संख्या 12 की पालना के क्रम मुख्य वन संरक्षक द्वारा अभिशंषा ऑनलाईन संलग्न नही है।	आपके ऑनलाईन ई0डी0एस0 दिनांक 16.05.2018 एवं दिनांक 16.08.2022 के जवाब में अभिशंषा संलग्न कर अग्रेषित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेशित है।
9	मुख्य वन संरक्षक कोटा द्वारा दिनांक 20.04.2018 को प्रेषित रिपोर्ट में उक्त क्षेत्र सी0ई0सी0 द्वारा अन्य एफ0सी0ए0 के प्रकरण में ग्रीन बैल्ट के रूप में विकसित करने के निर्देश दिये गये है अतः इस क्रम में सी0ई0सी0 से उक्त बिन्दु पर छूट प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रस्ताव अग्रेषित करने हेतु लिखा गया था। उक्त बिन्दु पर कार्यवाही अभी भी अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) विशिष्ट श्रेणी कोटा द्वारा पत्रांक 3788 दिनांक 19.12.2022 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक राज0 जयपुर को पत्र लिख कर अन्यत्र वन भूमि पर ग्रीनबेल्ट डवलप करने हेतु निवेदन किया है। वर्तमान में उक्त अनुमति मिलना लम्बित है।
10	लागत लाभ विश्लेषण भारत सरकार के नवीन निर्देशों एवं नवीन दरों पर नही बनाया गया है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्ति कर दी गयी है।
11	उप वन संरक्षक द्वारा संलग्न स्थल उपयुक्तता प्रमाण में यह स्पष्ट नही है गैर वनभूमि में कितने पौधे लग पायेगे एवं शेष पौधों को कहाँ लगाया जावेगा एवं उसकी स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा गैर वनभूमि व परिभ्रांषित वनभूमि हेतु पृथक–पृथक स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये है।
12	प्रकरण में 1998 में एफ0आई0आर0 काटी हुई है जिसका वर्तमान स्थिति क्या है पूछा जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि दायर संख्या 56–09 दिनांक 19.09.1996 के संबंध में लगाया गया जुर्माना राशि रूपये 1,00,000 का डी0डी0 502714 दिनांक 27.01.2023 यूजर एजेन्सी से लिया गया है।
13	यूजर एजेन्सी द्वारा पार्ट–I में मात्र अनन्तपुरा में 96 है0 वनभूमि प्रत्यावर्तन को प्रस्तावित की गयी है जबकि उक्त भूमि अनन्तपुरा में 72.34 है0 उम्मेदगंज में 23.66 है0 वनभूमि प्रस्तावित है तद्नुसार संशोधन अपेक्षित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी ने संशोधन कर दिया है।
14	प्रस्ताव में गैर वन भूमि दो ग्रामों गुरायता में 74 है0 एवं बोरीनाखुर्द में 22 है0 प्रदान की गयी है अतः पार्ट–I के बिन्दु संख्या एल0 में तद्नुसार संशोधन प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक कोटा द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी ने संशोधन कर दिया है।

Signature valid

Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.14 15:03:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3380331

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांकःएफ13(162)एफसीए/सीसीएफकोटा/2023/ 1542 दिनांक : 14/3/23

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक कोटा को प्रेषित कर लेख है कि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राज० जयपुर के ई०डी०एस० दिनांक 29.11.2022 के बिन्दु संख्या 13 व 14 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण से संशोधित नक्शों की हार्ड कॉपी प्राप्त कर भिजवावें।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.03.14 [illegible]:03:33 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3380331